न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–214 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 214

अपीलाण्ट :–

वगता पुत्र मेराज, जाति सुथार,
उम्र 58 वर्ष, निवासी सांकड
तहसील सांचौर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

राजस्थान राज्य जरिये नायब
तहसीलदारं सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर दिनांक 20 / 01 / 2011 राजस्व अपील प्रथम संख्या 64 / 2010 एवं आदेश नायब तहसीलदार दिनांक 21 / 09 / 2010 मुकदमा संख्या 69 / 2010 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सरकार बनाम वगता एवं अपील प्रकरण वगता बनाम सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 26.11.2024

1. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 64 / 2010 बअनवान वगता बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सांचौर निर्णय दिनांक 20.01.2011 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के नाम वादग्रस्त भूमि का पट्टा दिनांक 04 / 01 / 2002 को जारी किया गया है जो कुल 2025 वर्गफीट का जारी किया गया है जिसमें अपीलान्ट का रहवासी मकान निर्मित है एवं आसपास में आबाद मकान है उतर में बलवन्ता का मकान। दक्षिण में प्रभुदास वैष्णव का मकान। पूर्व में सांकड जाने का रास्ता

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

26.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

व पश्चिम में विक्रम का मकान है। उक्त मकान का पट्टा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस पर कोई गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

नायब तहसीलदार अपीलान्ट को सबूत पेश करने का एवं जवाब पेश करने का उचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि उसके पास पट्टा है जो आयन्दा पेश करेगा। परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा उसके अनुरोध को दरगुजर करते हुये जबरन आदेशिका में हस्ताक्षर करवा दिये एवं उसी रोज बेदखली का आदेश पारीत किया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का के बयान दिनांक 21/09/2010 को ही रेकर्ड कर दिये गये अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को वकील कर पटवारी हल्का से जिरह करने हेतु समय दिलाने का मौखिक रूप से अनुरोध किया गया था परन्तु नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को वकील नियुक्त करने का ही कोई उचित समय नही दिया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

मुकदमा नं. 111/09 की फर्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं कराई गई है न ही भौतिक रूप से औरडी गिरा ने का कथन किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

नायब तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 21/09/2010 को क्या निर्णय पारित किया है इससे अवगत नही कराया गया मात्र निर्णय पृथक से लिखाया जाने का उल्लेख किया है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट आने पर ही उसे जानकारी मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी जिससे भी प्रथम अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य प्रकरण को रिमाण्ड कर अपीलान्ट को सबूत व सुनवाई का उचित अवसर देने का था तथा वह नहीं दिया गया एवं न ही ग्राम पंचायत से कोई रेकर्ड ही तलब किया गया। इस कारण अपीलान्ट को न्याय नहीं मिल सका एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत गौचर भूमि की मालिक है एवं ग्राम पंचायत का दायित्व ही गौचर भूमि की सूरक्षा का दायित्व है दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयों ने ग्राम पंचायत को अपीलान्ट के कब्जे बाबत कोई सूचना नही दी एवं न ही ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट का नाजायज कब्जा होने बाबत पटवारी हल्का एवं अन्य किसी भी राजस्व अधिकारी को शिकायत की गई जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम सांकड में आबादी भूमि व गौचर भूमि पास–पास होने से एवं किसी प्रकार का सीमाकंन नही होने से अपीलान्ट का कब्जा आबादी भूमि में होने के बावजूद एवं उसके पास पट्टा होने के बावजूद भी गलत तरीके से बेदखली एवं सिविल कारावास का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को मौके के अनुसार आबादी एवं गौचर भूमि का नाप करवाकर मुकदमें का न्यायिक निर्णय किया जाना चाहिये था जो न कर भारी भूल की है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलान्ट का मकान वादग्रस्त प्लोट में अपने पिता के जीवनकाल से निर्मित है जो पट्टा जारी करते वक्त ही 50 वर्ष से पुराना निर्मित होने से पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत ने त्रुटिवश मरम्मत का काम जारी होने से खाली प्लोट दर्शा दिया है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के नाम जारी पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा एवं ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है एवं न ही निरस्त किये जाने की कोई कार्यवाही की गई है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर में अपनी पैरवी के लिए जालोर में अपना वकील नियुक्त कर रखा था तथा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अधिवक्ता वसन्त कुमारजी गहलोत ने बताया था कि अपील में प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब काम होगा तब बुला देगें एवं फैसला होने पर सूचना दे देगें परन्तु मेरे अधिवक्ता ने अपील का फैसला होने पर कोई सूचना नही दी। न ही तहसीलदार सांचौर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 09/12/2015 एवं तहसीलदार सांचौर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03/12/2015 का जारी किया हुआ जो दिनांक 19/12/2015 को मिला उसके पश्चात दिनांक 21/12/2015 को पेशी होने से सांचौर में उपस्थिति दर्ज करवाई एवं दिनांक 22/12/2015 को जालोर आकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की निर्णय की नकल मांगी जो दिनांक 31/12/2015 को प्राप्त हुई जब दिनांक 22/12/2015 को जालोर नकल मांगने आये तो हमारे अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल लाने का कहा जिस पर दिनांक 30/12/2015 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल मांगी जो दिनांक 21/12/2015 को प्राप्त हुई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/01/2011 का ज्ञान तहसीलदार द्वारा नोटिस दिनांक 19/12/2015 को मिलने पर एवं नकल दिनांक 31/12/2015 को हुआ उससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ इन हालात में अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने व उसकी नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है।

ग्राम सांकड में खसरा नम्बर 1383 रकबा 1.10 हैक्टर गैर मुमकिन गोचर से लगती हुई आबादी भूमि आई हुई है जिसमें अपीलान्ट के अतिरिक्त कई लोगो के रहवासी मकानात बने हुए है पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष अपीलान्ट का खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि में अतिक्रमण बताते हुये वर्ष 2010 में रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रकरण दर्जकर अपीलान्ट को नोटिस दिया गया अपीलान्ट उस रोज पेशी पर उपस्थित हुआ जवाब व सबूत पेश करने हेतु समय मांगा परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा कोई समय नहीं देकर पटवारी हल्का का बयान रेकर्ड कर पूर्व में प्रकरण संख्या 111/09 में दिनांक 10/10/2009 को भौतिक रूप से बेदखल करना बताते हुये पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया ।

अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

26.11.2016

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप फरमावे विकल्प में निवेदन है कि प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

6. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार, सांचौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2010 एवं न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 21.01.2011 के अनुसार ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय सुमोटो भी पक्षकार के रूप में नाम दर्ज कर उनका पक्ष सुना जा सकता था। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अपील में बताये अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.1.2002 को 2025 वर्गमीटर का पटटा जारी किया गया। इस पटटे की वैधता का परिक्षण एवं पटटा स्थान का भौतिक सत्यापन करवाकर निर्णय में स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक थी जो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा नही की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सांचौर 69/2010 निर्णय दिनांक 21.09.2010 एवं न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर की अपील सं. 64/2010 निर्णय दिनांक 21.01.2011 को अपास्त किया जाता है।न्यायालय तहसीलदार, सांचौर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तथा ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देवे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

26.11.2014
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

26.11.2014
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)